न्यायालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **दिप्ती स्वामी,**RJS
प्रकरण संख्या (CIS) 506/2025 रे०फौ०
सी.आई.एस. नंबर 2211/2014
प्र०सू०रि० संख्या 516/2005 पुलिस थाना प्रतापगढ
राजस्थान राज्य

बनाम

(1) विनोद पुत्र मांगीलाल,निवासी फलवां, थाना निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ(राज.)**निर्णय दिनांक-13/10/2017**

(2) श्रवण कुमार पुत्र रामचन्द्र, तत्समय उम्र-54 वर्ष, निवासी केली, थाना निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.) ..अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा-420,120बी भारतीय दंड संहिता

उपस्थित-

(1)अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष।
(2)श्री कमल सिंह सिसौदिया, अधिवक्ता, अभियुक्त पक्ष।

:: निर्णय:: दिनांकः12/06/2026

1 पुलिस थाना, प्रतापगढ द्वारा यह आरोप-पत्र दिनांक-21/11/2005 को जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण श्रवण कुमार एवं विनोद के विरूद्व अपराध तहत धारा-420,120B IPC के आरोपों में न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर नियमित अपराधिक प्रकरण के रूप में किया गया। अभियुक्त विनोद पर आरोपित अपराधों बाबत् दिनांकित-13/10/2017 को निर्णय पारित किया जा चुका है। अब अभियुक्त श्रवण कुमार के विरूद्व आरोपित अपराधों बाबत् यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक-08/08/2009 को परिवादी औंकारलाल द्वारा परिवाद प्रदर्श पी-2 पेश कर निवेदन किया कि परिवादी मेनारिया ट्रैक्टर्स के नाम से व्यवसाय करता है। दिनांक-07/06/2004 को श्रवण कुमार परिवादी के पास आया और उसने एक ट्रैक्टर L&T जॉन डीयर मॉडल 5103,40HP चैचिस नंबर-5103D004574 इंजन नंबर 3029D111059 राशि-₹3,68,000/-में क्रय कर पेमेन्ट में विनोद के खाते का चैक नंबर-811751BOB शाखा निम्बाहेडा का व विनोद का पत्र दिया। तत्समय श्रवण कुमार ने बताया कि दस पन्द्रह दिनों में ट्रैक्टर की राशि का भुगतान कर चैक वापस ले लेगा। परिवादी कई बार अभियुक्तगण के पास रूपये लेने गया लेकिन रूपये अदा नहीं किये। दिनांक-10/07/2004 को विनोद कुमार व श्रवण कुमार परिवादी से मिले और परिवादी के पक्ष में चिट्ठी लिख दी कि रूपये दिनांक-01/08/2004 तक DD के द्वारा भेज देगें, किन्तु उक्त दिनांक तक

भी रूपया अदा नहीं किया,तत्पश्चात् श्रवण कुमार ने उसकी पत्नी चंदा के खाते का एक चैक ₹3,68,000/-SBI बैंक शाखा निम्बाहेडा का दिनांक-23/11/2004 का दे दिया। उक्त चैक परिवादी ने भुगतान हेतु दिया परंतु बैंक का भुगतान नहीं मिला, जिस पर परिवादी ने चंदा देवी के विरूद्व धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद पेश किया। अभियुक्तगण ने परिवादी को धोखा देकर व गलत चैक देकर ट्रैक्टर की डिलीवरी लेकर रूपये अदा नहीं किये। इस प्रकार अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ धोखाधडी की व ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर उसका उपयोग कर रहे है..वगैरह।

3 उक्त परिवाद न्यायालय हाजा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)में पुलिस थाना प्रतापगढ को प्रेषित किया,जिस पर पुलिस थाना प्रताप -गढ में प्रकरण संख्या-516/2005,अपराध तहत धारा-420IPC में दर्ज कर अनु -संधान प्रारम्भ किया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण श्रवण कुमार एवं विनोद के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-420,120B IPC के तहत जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला प्रथम दृष्ट्या बनना पाया जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-420,120B भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4 बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त श्रवण कुमार को अपराध अंतर्गत धारा-420,120B भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन एवं समझ कर अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

5 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी०ड० 1 दरबार सिंह, पी०ड० 2 औंकारलाल,पी०ड० 3 दिलीप, पी०ड० 4 आनंदीलाल, पी०ड० 5 शेख मौहम्मद,पी०ड० 6 कमलेश कुमार एवं पी०ड० 7 मानसिंह के बयान लेख बद्व करवाये एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया।

6 प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन समाप्ति उपरान्त अभियुक्त श्रवण कुमार का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के तहत परीक्षण किया तो अभि युक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

7 बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस तर्क दिया कि इस मामले में अभियुक्त को झूंठा फंसाया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि परिवादी मेनारिया ट्रैक्टर्स की दुकान का मालिक हो या अधिकृत विक्रेता हो इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। परिवादी प्रश्नगत ट्रैक्टर को कभी विनोद को विक्रय करना बताता है तो कभी श्रवण कुमार को विक्रय करना बताता है। परिवादी ने स्वयं विनोद का खाली चैक नहीं लौटाया। अभियुक्त

श्रवण कुमार की पत्नी के नाम से जारी चैक को अपनी मर्जी से भरकर श्रवण की पत्नी के विरूद्व धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में पृथक से मुकदमा कर रखा है। एक ही घटना एक ही सम्पत्ति एवं उसके प्रतिफल के संबंध में दो पृथक-पृथक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सुपुर्दगी का गवाह दरबार सिंह पक्षद्रोही हुआ हैं। डिलीवर चालान प्रदर्श पी-3 पर अभियुक्त विनोद के हस्ताक्षर कब व किस प्रकार करवाये यह परिवादी साबित नहीं कर पाया है। प्रश्नगत ट्रैक्टर धारा-207 एम.वी.एक्ट के तहत प्रतापगढ थाने द्वारा जब्त किया गया था न कि हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत ट्रैक्टर जब्त हुआ है। इस प्रकार जब प्रश्नगत ट्रैक्टर जब्त नहीं हुआ तो ट्रैक्टर किसके कब्जे में था या किसको विक्रय किया गया था, इस प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है। परीक्षित साक्षीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

7 बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा कि अभि -युक्त विनोद ने सह अभियुक्त श्रवण कुमार के साथ बदनियति से आपराधिक आशय रखते हुए तथा परिवादी को धोखा देने की नियत से षडयन्त्र व साजिश रचकर प्रश्नगत ट्रैक्टर क्रय किया तथा बाद में परिवादी को कोई राशि का भुगतान नहीं कर परिवादी के साथ धोखाधडी की। उनका यह भी तर्क रहा कि मामले में परिवादी व अन्य साक्षीगण की अभिसाक्ष्य व अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध पुरी तरह प्रमाणित है। अतः अभियुक्त श्रवण कुमार को आरोपित अपराध में दोषसिद्व किया जावे।

8 बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि -

1-क्या प्रकरण में अभियुक्त श्रवण कुमार ने दिनांक-07/06/2004 को दिन के किसी समय मौजा प्रतापगढ स्थित परिवादी पक्ष की फर्म मै.मैनारिया ट्रैक्टर्स से एक प्रश्नगत ट्रैक्टर L&T जॉन डीयर मॉडल-5103-40HP राशि-₹3,68,000/-में क्रय कर डिलीवरी प्राप्त की तथा उसके एवज में परिवादी को अभि युक्त ने बैंक खाते का चैक संख्या-811571 बैंक ऑफ बडौदा, शाखा निम्बाहेडा का दिया और चिट्ठी लिखकर यह आश्वासन दिया कि-DD भेज देगें, फिर आश्वासन दिया कि-10-15 दिन में नकद भुगतान कर देगें। लेकिन अभियुक्त् ने उक्त रकम का भुगतान परिवादी को अदा नहीं किया और दिनांक-23/11/2004 को परिवादी द्वारा अभियुक्त के द्वारा दिये चैक को बैंक में लगाने पर अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से उसका भुगतान नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त ने परिवादी को धोखा देने के आशय से उसे सम्पत्ति परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित कर छल किया एवं सह अभियुक्त विनोद के साथ आपरी सहमति रखते हुए परिवादी के साथ छल करने के आशय से एक ट्रैक्टर परिवादी की फर्म से ₹3,68,000/-में प्राप्त किया जिसके पेटे रिाश का भुगतान नहीं कर सह अभियुक्त की सहमति से षडयन्त्र रचा?

2 **यदि हां तो अभियुक्त श्रवण कुमार किस दंड का भागी होगा?**

9 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात साक्षीगण के बयान लेखबद्व करवाये गये है, जिसमें परिवादिया साक्षी पी०ड० 2 औंकारलाल ने मुख्य परीक्षण में इस आशय के कथन दिये कि दिनांक-07/06/2004 को वह मेनारिया ट्रैक्टर्स के नाम से प्रतापगढ में व्यवसाय करता था। उस दिन उसके पास श्रवण कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी केली आया। उसने एक चिट्ठी व बैंक चैक विनोद का दिया जिस पर उसने श्रवण कुमार को ट्रैक्टर की डिलीवरी दी। वक्त डिलीवरी श्रवण कुमार ने दस पन्द्रह दिन के अंदर भुगतान कर चैक वापस ले जाने की बात की थी तत्पश्चात् भुगतान नहीं हुआ इस पर विनोद व श्रवण कुमार दोनों दिनांक-10/07/2004 को शोरूम पर आए व विनोद ने श्रवण कुमार के नाम का ₹3,68,000/-का इकरार नामा सम्पादित किया। दिनांक-01/08/2004 को-DD देने की बात कही लेकिन-DD नहीं दिया। वह पैसे तकाजे के लिये निम्बाहेडा गया तो श्रवण कुमार ने उसकी पत्नी के खाते का एक चैक दिनांक-23/11/2004 दिया जो भुगतान हेतु SBBJ शाखा अरनोद को दिया जिस पर दिनांक-30/11/2004 को बैंक से सूचना मिली कि चैक अनादरित होकर आया है। इस प्रकार श्रवण कुमार व विनोद ने धोखाधडी कर ट्रैक्टर लिया। अभियुक्त विनोद ने उसके नाम से प्रदर्श पी-5 चिट्ठी लेकर श्रवण कुमार को भेजा था। खाली चैक प्रदर्श पी-6 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अभिकथन किया कि विनोद एवं श्रवण कुमार को इस घटना के छःमाह पहले से जानता था जिन्होनें प्रभूलाल, भरतलाल, शंभूलाल को ट्रैक्टर दिलाये थे। इस घटना से पहले विनोद से फोन पर बात करता था। श्रवण ने कहा कि दिनांक-01/08/2004 को ₹3,68,000/-का चैक देगें। श्रवण ने उसकी पत्नी के नाम का चैक दिया। इकरारनामानुसार जवाबदारी श्रवण व विनोद की बनती है। परि वाद प्रदर्श पी-2 के साथ मेनारिया ट्रैक्टर्स के नाम से एजेन्सी होने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। यह सही है कि चंदा से उसने कोई लेनदेन नहीं किया। विनोद को एक ट्रेक्टर पर दस हजार रूपये कमीशन देता था। दिनांक-10/07/2004 को एग्रीमेन्ट श्रवण के नाम बना तब श्रवण क्रेता बना। विनोद ने खाली चैक मेनारिया ट्रैक्टर्स के नाम से था। विनोद व श्रवण ने एग्रीमेन्ट ₹3,68,000/-का किया था। विनोद व श्रवण ने कहा वे बैंक फाइनेन्स करवा रहे है। बैंक फाईनेन्स की बात उसने अपने परिवाद में नहीं लिखाई। यह केस उसने पैसे के लेनदेन बाबत् किया हो।

10 प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह पी०ड० 1 दरबार सिंह ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि घटना वर्ष-2004 की होकर श्रवण व विनोद आमेटा ट्रैक्टर लाये थे, जिसमें श्रवण ने ट्रैक्टर खरीदा व विनोद आमेटा ट्रैक्टर दिलाने में एजेन्ट था। ट्रैक्टर कितने में खरीदा,उसे पता नहीं है। इसके बारे में कागज की लिखा-पढी हुई हो तो उसे पता नहीं। श्रवण कुमार ने ट्रैक्टर के रूपये नहीं चुकाये तो विनोद ने उसका ट्रैक्टरपकड कर उसके यहाँ रख गया था। विनोद ने पहले से उससे नब्बे हजार रूपये ले रखे थे। उसके पास एक दिन ट्रैक्टर

रहा। औंकार मेनारिया ट्रैक्टर मालिक था, जो ट्रैक्टर बेचता था। श्रवण कुमार ने उसके सामने कोई चिट्ठी नहीं लिखी ना ही वह चिट्ठी के बारे में जानता है। इस प्रक्रम पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर जिरह में साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया कि श्रवण कुमार ने उसके सामने-₹3,68,000/- दिनांक-01/08/2004 को चुका देने का-DD उसके सामने दिया हो।

11 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 3 दिलीप ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि-8 साल पहले वह मेनारिया ट्रैक्टर पर चालक था। दिन में दो ढाई बजे श्रवण कुमार निवासी केली एक चिट्ठी व चैक लेकर आया ओर किा कि उसे विनोद ने भेजा है। चैक व चिट्ठी औंकारलाल के हाथ में दी थी। औंकारलाल ने पढकर मोबाईल से बात की थी। ट्रैक्टर-₹3,78,000/-में बेचना तय हुआ। उसे पता नहीं कि चैक दिया वह कितनी राशि का था। वे एक दो बार उगाही हेतु श्रवण के पास निम्बाहेडा गये। श्रवण ने उसकी औरत का एक चैक औंकारलाल मेनारिया को दिया परन्तु पेमेन्ट नहीं दिया। इन चैकों से कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि वह अरनोद से प्रतापगढ शोरूम पर औंकारलाल को लाने ले जाने का काम करता था। श्रवण कुमार पहले नहीं आता जाता था। चैक पर मेनारिया ट्रैक्टर लिखा था। उसके सामने चैक पर कोई लिखावट नहीं हुई थी। ट्रैक्टर श्रवण ने क्रय किया और वह ही लाया था। चैक में तारीख-07/04/2004 डाली हुई थी। निम्बाहेडा में पेमेन्ट के बारे में बातचीत हुई थी उसी दिन श्रवण कुमार ने एक चैक और दिया जो उसकी पत्नी के नाम था। औंकारलाल ने यह नहीं कहा कि चैक उसकी पतनी के नाम का क्यों दे रहा है। उसे पता नहीं कि निम्बाहेडा में जो चैक दिया उसका भुगतान कितने दिन बाद तक नहीं हुआ। यह सही है कि विनोद व औंकारलाल के बीच मुकदमें चल रहे हो।

12 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड०-4 आनंदीलाल ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि वह सन्-2005 में मेनारिया ट्रैक्टर औंकारलाल के यहाँ कार्यरत था। आठ साल पहले श्रवण कुमार शोरूम पर विनोद के नाम का पत्र लेकर आया जिस पर कार्यवाही कर ट्रैक्टर रवाना किया। ट्रैक्टर जन डीयर 5103 होकर-40HP का-₹3,68,000/-का था, जिसका पेमेन्ट नहीं हुआ था। सेठ औंकारलाल ने विनोद से टेलीफोन पर पेमेन्ट संबंधी बात करने के बाद ट्रैक्टर दिया था। श्रवण कुमार ने मेनारिया फर्म के नाम से खाली चैक दिया जो विनोद की तरफ से दिया था। चैक में कोई राशि भरी हुई नहीं थी। उस चैक पर विनोद के हस्ताक्षर थे। चैक दिया व कहा कि पन्द्रह दिन बाद पेमेन्ट दे देगें फिर पन्द्रह दिन और उसके बाद भी पेमेन्ट नहीं दिया जो चैक दिया उसके पेटे कोई राशि का भुगतान नहीं हुआ। डिलीवरी चालान बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। दुबारा शोरूम पर आये या नहीं उसे पता नहीं। पुलिस बयान प्रदर्श पी-6 का ए लगायत ई तीनों भाग सही है। उसकी जान कारी में यह भी आया कि औंकारलाल को एक और चैक-₹3,68,000/-का

विनोद ने उसकी पत्नी के नाम का दिया परन्तु उस चैक की राशि का भी भुग -तान नहीं हुआ। ट्रैक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी-3 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी-3 के जरिये श्रवण कुमार को ट्रैक्टर सुपुर्द किया था। प्रदर्श पी-6 चैक उसके सामने दिया था। साक्षी ने जिरह में कथन किया कि वह सन्-2004 में औंकारलाल के यहाँ काम कर रहा था। वह ट्रैक्टर मैकेनिकल का काम करता था। उसे चार हजार रूपये मासिक वेतन मिलता था। उसने चार साल काम किया था। ट्रैक्टर बेचने के बारे में क्या लिखा-पढी करते थे, उसको पता नहीं था। किसी डिलीवरी चालान पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराये थे। प्रदर्श पी-3 विनोद के नाम से था, खरीदने श्रवण कुमार आया था। बिल में औंकारलाल ने खरीददार श्रवण कुमार को बताया था। करीबन तीन बजे उसके साईन कराये थे। वह श्रवण कुमार के ट्रैक्टर की सर्विसिंग करने गया था। इस बीच श्रवण कुमार ने पेमेन्ट दिया या नहीं,उसे पता नहीं है। दुबारा जब विनोद आया तब इनके बीच में क्या बात हुई उसे पता नहीं है।

13 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 5 शेर मौहम्मद ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथन किये कि उसके बयान से सात साल पहले श्रवण कुमार ने आगे-आगे चलकर पुलिस को एक ट्रैक्टर,जिसे पुलिस ने बरामद कराया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-6 बनाई, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने जिरह में अभिकथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी-6 के दोनों साक्षीगण पुलिसकर्मी है और निम्बाहेडा पुलिस थाने के आसपास बस्ती है।

14 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 6 कमलेश कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी-6 र उसके हस्ताक्षर है। शंकरलाल हेड साहब ने ट्रैक्टर को वजह सबूत लिया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-6 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिरह में साक्षी ने कथन किया कि ट्रैक्टर केली चौकी पर था, वहाँ से थाना निम्बाहेडा लाये थे।

15 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 7 मानसिंह ने मुख्य परी क्षण में यह कथन किया कि दिनांक-19/09/2005 को द्वितीय अधिकारी थाना प्रतापगढ पर तैनात था। उस दिन प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली प्राप्त हुई। अनुसंधान के दौरान परिवादी औंकारलाल के बयान लेखबद्व किये। अग्रिम अनुसंधान सोहनलाल के जिम्मे किया। जिरह में साक्षी ने इस तथ्य को सही बताया कि परिवाद के पहले थाने में परिवादी ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी।

16 पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का बहस के सन्दर्भ में सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के परिवादी औंकारलाल पी०ड० 2 की साक्ष्य का अवलोकन करे तो उसने परिवाद प्रदर्श पी-2 के अनुसार मुख्य परीक्षण में कथन किये है। परिवाद प्रदर्श पी-2 के मद संख्या-2 में यह लिखा है कि दिनांक-07/06/2004 को प्रश्नगत ट्रैक्टर अभि-युक्त श्रवण कुमार ने विनोद का चैक व पत्र देकर क्रय कर डिलीवरी प्राप्त की थी, किन्तु प्रतिपरीक्षा में औंकारलाल परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि

ट्रैक्टर विनोद ने क्रय किया था और श्रवण कुमार ने एग्रीमेन्ट किया उससे पहले खरीददार विनोद ही था। इस प्रकार परिवादी स्वयं निश्चित नहीं बता पा रहा है कि दिनांक-07/06/2004 को उसने प्रश्नगत ट्रैक्टर विनोद को बेचा था या श्रवण कुमार को बेचा था। परिवादी साक्ष्य में यह भी जाहिर किया है कि दिनांक-07/06/2004 को विनोद उसके पास नहीं आया था केवल पत्र व एक खाली चैक भिजवाया था,जबकि दिनांक-07/06/2004 के डिलीवरी चालान प्रदर्श पी-3 पर ई से एफ विनोद के हस्ताक्षर मार्क किये गये है। ऐसे में परिवादी को यह स्पष्ट किया जाना अत्यन्त आवश्यक था कि प्रदर्श पी-3 पर विनोद के हस्ताक्षर कब करवाये गये। परिवादी ने अपने प्रति परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि विनोद उसके शोरूम पर कमीशन एजेन्ट था और प्रति ट्रैक्टर दस हजार रूपये कमीशन देता था,किन्तु विनोद को अपने शोरूम पर कमीशन एजेन्ट होने का तथ्य अपने परिवाद में परिवादी ने उल्लेखित नहीं किया यानि परिवादी ने अभियुक्त विनोद के अपने शोरूम पर कमीशन एजेन्ट होने की बात न्यायालय से छिपायी और स्वच्छय हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। विनोद के द्वारा दिये गये तथाकथित चैक प्रदर्श पी-6 और चिट्ठी प्रदर्श पी-5 का अवलोकन से ऐसा जाहिर होता है कि प्रारम्भ में परिवादी का अभियुक्त विनोद को ट्रैक्टर विक्रय करने का आशय रहा है, किन्तु बाद में दिनांक-10/07/2004 को अभियुक्त श्रवण कुमार के साथ इकरार नामा निष्पा -दित करना बताता है जिसकी प्रति प्रदर्श पी-4 के रूप में न्यायालय में पेश हुई है, जिस पर ए से बी श्रवण कुमार के हस्ताक्षर भी अंकित है, किन्तु प्रदर्श पी-4 के गवाह के रूप में विनोद व दरबार सिंह का नाम दर्ज किया गया है जिसमें से दरबार सिंह पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ था किन्तु इस गवाह ने अपने समक्ष श्रवण कुमार द्वारा चिट्ठी लिखने के बारे में इंकारी एवं अन-भिज्ञता प्रकट की है, और यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। यानि प्रदर्श पी 4 में मै.मेनारिया ट्रैक्टर्स से ट्रैक्टर क्रय करना लिखा हुआ है,किन्तु मै. मेना-रिया ट्रैक्टर्स का मालिक परिवादी हो ऐसा प्रदर्श पी-4 में कहीं नहीं लिखा है। परिवादी औंकारलाल ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने कम्पनी से एजेन्सी-2002 में ली थी, और कम्पनी की एजेन्सी लेते समय एजेन्सी पत्र दिया जाता है,परन्तु उसने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। इस प्रकार न्यायालय का भी मत है कि कोई भी व्यक्ति एजेन्सी, कम्पनी से वाहन या ट्रैक्टर क्रय करता है तब प्रश्नगत वाहन का बिल अवश्य दिया जाता है, परिवादी ने ऐसा कोई बिल विनोद या श्रवण कुमार के नाम से काटा हो, ऐसा न तो अपनी साक्ष्य में बताया है और ना ही किसी बिल की प्रति ही न्यायालय के समक्ष पेश की है। कम्पनी की एजेन्सी के मालिक के बाबत् दस्तावेज भी इस प्रकरण में महत्वपूर्ण थे,जिसके अभाव में यह साबित नहीं होता है कि परिवादी कम्पनी की ओर से वाहन विक्रय करने का अधिकृत डीलर(एजेन्ट) हो। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक

है कि परि-वादी ने जब्तशुदा ट्रैक्टर को अंतरिम सुपुर्दगी पर लेने का कोई आवेदन भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है और अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार भी किया है कि उसने ट्रैक्टर न्यायालय से नहीं छुडाया था, जिससे भी इस बात पर संदेह उत्पन्न होता है कि यदि वाहन वास्तव में परिवादी की कम्पनी से विक्रय किया गया था तो परिवादी द्वारा उसे न्यायालय से नियमानुसार अंतरिम सुपुर्दगी पर लिया जाकर अन्यत्र विक्रय किये जाने का प्रयास भी किया जाता। ऐसे में सर्वप्रथम यही प्रमाणित नहीं है कि परिवादी औंकारलाल मै.मेनारिया ट्रैक्टर्स का मालिक हो और उसे कम्पनी की ओर से वाहन विक्रय करने का प्राधिकार दिया गया हो।

17 इसके अतिरिक्त प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर को इस प्रकरण में थाना निम्बाहेडा से जब्त किया गया था, जिसकी जब्ती प्रदर्श पी-6 में इस बात का उल्लेख है कि वाहन के कागजात नहीं होने के कारण पुलिस चौकी केली के हेड कानि. शंकरलाल ने MV ACT की धारा-207 के तहत वाहन को जब्त किया था, परन्तु MV ACT की धारा-207 के तहत की गई मूल जब्ती पत्रावली पर पेश नहीं हुई है,ना ही पुलिस चौकी केली के हैड कानि.रामलाल को इस बाबत् न्यायालय में परीक्षित करवाया है और ना ही पुलिस चौकी केली के मालखाना रजिस्टर की प्रति इस पत्रावली में पेश हुई है। यानि प्रश्नगत ट्रैक्टर इस प्रकरण में जब्त नहीं हुआ था,बल्कि FIR दर्ज होने के पश्चात् MV ACT की कार्यवाही के तहत प्रश्नगत वाहन जब्त किया गया था। यद्यपि MV ACT की कार्यवाही के तहत ट्रैक्टर श्रवण कुमार के कब्जे से जब्त होने के कथन अनुसंधान अधि-कारी द्वारा किये गये है, किन्तु परिवादी औंकारलाल ने अभियुक्त श्रवण कुमार को ट्रैक्टर कब विक्रय किया,इसका कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि परिवादी ने साक्ष्य में कथन किया है कि श्रवण कुमार से ट्रैक्टर के विक्रय की राशि की मांग किये जाने पर श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी श्रीमती चंदा के नाम का चैक उसे सुपुर्द किया कर दिया था,किन्तु उक्त चैक के अनादरण के संबंध में की गई कार्यवाही के कोई दस्तावेज परिवादी या अभियोजन अधिकारी ने अपने समर्थन में पेश नहीं किये है। इसके अतिरिक्त न्यायालय का मत है कि यदि परिवादी ने वाहन यदि श्रवण कुमार को विक्रय किया था तब उसके द्वारा श्रवण कुमार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का चैक प्रतिफल स्वरूप किस आधार पर लिया गया, स्वयं परिवादी के कथनों से ऐसा जाहिर होता है कि सर्वप्रथम उसने ट्रैक्टर श्रवण कुमार को विक्रय किया,किन्तु चैक विनोद का लिया और परिवादी ने बयानों में ट्रैक्टर विनोद को विक्रय करना बताया है। दूसरी बार उसने ट्रैक्टर श्रवण कुमार को विक्रय करना बताया है और श्रवण कुमार से-DD दिनांक-01/08/2004 तक लेना बताया, और-DD न लेकर परिवादी ने श्रवण कुमार की पत्नी चंदा का चैक लिया। इस प्रकार स्वयं परिवादी औंकारलाल बार-बार विरोधा-भासी कथन कर रहा है और विरोधाभासी तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश कर

रहा है। इस प्रकार प्रदर्श पी-3 के अनुसार वाहन ट्रैक्टर श्रवण कुमार को विक्रय किया जाना प्रमाणित नहीं है तथा तथाकथित इकरार नामा प्रदर्श पी-4 भी अभियोजन प्रमाणित नहीं कर पाया है। परिवादी मै.मेनारिया ट्रैक्टर का अधिकृत डीलर हो, इसका कोई संतोदप्रद ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है और ना ही परिवादी ने प्रश्नगत ट्रैक्टर को न्यायालय से अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त किया,जिससे सम्पूर्ण मामला पुरी तरह संदेहास्प्रद हो जाता है और अभियोजन अपने उक्त मामले को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अवधारणीय बिन्दु संख्या-1 एवं-2 युक्ति-युक्त रूप से प्रमाणित नहीं हो पाने से अभियुक्त श्रवण कुमार को अपराध तहत धारा-420,120B भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है। अतःअभियुक्त श्रवण कुमार आरोपित अपराध धारा-420,120B भारतीय दंड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्ति का पात्र पाया जाता है।

:: आदेश ::

18 फलतःअभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी केली थाना निम्बाहेडा,जिला चित्तौडगढ(राज.)को धारा-420,120B IPC के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी-6 में जब्तशुदा ट्रैक्टर नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की सुरत में हकदार व्यक्ति को लौटाया जाये।

20 हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त विनोद पर आरोपित अपराधों बाबत् निर्णय दिनांक-13/10/2017 को पारित किया जा चूका है।

21 अभियुक्त श्रवण कुमार के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत-मुचलके-₹10,000/-₹10,000/-के मय शपथ-पत्र माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ धारा-481 BNSS के तहत आगामी-6 माह की अवधि के लिए प्रस्तुत कर संतोषप्रद तरीके से तस्दीक कराये जावे।

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

22 निर्णय आज दिनांक-12/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

Digitally signed by
PRAVEEN JOSHI
Date: 2026.06.16
08:59:13 +0530